मुद्रा बैंक : अनौपचारिक क्षेत्र की आकांक्षाओं का पूरक

—गजेन्द्र सिंह मधुसूदन

मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय स्वालम्बन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है जो साधनहीन समूहों के लिए विकास का वरदान सिद्ध होगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र की सघनता और व्यापकता अधिक है। व्यावसायिक बैंक छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मुद्रा बैंक अनौपचारिक क्षेत्र का संस्थागत वित्तीयन करके उसे विकास के नए मुकाम पर खड़ा होने में सक्षम बनाएगा।

वित्त विकासीय प्रयोजन की पहली मौलिक आवश्यकता है क्योंकि विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण वित्तीय सामर्थ्य पर निर्भर करता है। वित्त की सर्वांगीण सुलभता ही विकास को त्वरित और अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाती है जिसमें संस्थागत वित्त आत्मनिर्भरता, उद्यमवृत्ति और स्वरोजगार का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है लेकिन संस्थागत वित्त की सर्वांगीण सुलभता में हमारा अर्थतंत्र अभी भी विकास की किशोरावस्था के दौर से गुजर रहा है और वित्तीय व्यापकता, वित्तीय साक्षरता व समावेशीपन के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की वित्त व्यवस्था पहुंच, पर्याप्तता और पारदर्शिता के अभाव से ग्रसित है जिससे वित्तीय समावेशन की तमाम कोशिशें दम तोड़ती दिखने लगी हैं। ऐसा भी नहीं है कि देश में संस्थागत वित्त के लिए बैंकिंग व्यवस्था या उनके द्वारा सृजित सेवाओं को आम जन तक ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया है बल्कि यहां तो बैंकिंग प्रणाली का विकास ही मूलतः व्यावसायिक क्षेत्रक उद्योगों एवं व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में हुआ है।

बैंकिंग व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का और फिर भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बावजूद जब यह महसूस हुआ कि आजादी के बाद के आरम्भिक दो दशकों तक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र–कृषि एवं सहायक क्रियाएं, बैंकिंग सहायता पाने से करीब वंचित ही रहा है तो एक कठोर निर्णय के तहत देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा एक दशक बाद पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाराशि 200 करोड़ रुपये से अधिक थी जिससे बैंकिंग व्यवस्था को सतही व जनहितैषी बनाने के साथ सरकार की वित्तीय सुविधाओं को जन–सामान्य तक पहुंचाना आसान हो गया।

शुरुआती दौर में इन बैंकों की भूमिका विकास की सघनता में कमतर ही रही है और तत्कालीन सर्वेक्षणों व विश्लेषणों से यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीयकरण बैंकिंग व्यवस्था, प्रसिद्धि, पहुंच और प्रभावशाली व्यक्तियों, समूहों और उद्योगों तक अपने को सीमित किए हुए है। कृषि, ग्रामीण विकास, लघु एवं कुटीर उद्योग और पिछड़े समूह इसकी पहुंच से दूर हैं। इसके समाधान हेतु जनपद स्तर पर 1969 में 'अग्रणी बैंक योजना' आरम्भ की गई जिसके तहत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को 'लीड बैंक' घोषित कर दिया जाता है जिसका जिला–स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु जिले में सक्रिय अन्य सभी बैंकों का सहयोग लेने व निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने

में सभी वित्तीय संस्थाओं का समन्वय कायम करने का प्रयास रहता है। इसी के साथ निचले स्तर पर वित्तीय सघनता विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1975 को क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गयी जो वर्तमान में सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत हैं। इसकी ग्रामीण शाखाएं कुल ग्रामीण साख में 37 प्रतिशत का योगदान देती हैं लेकिन इन बैंकों पर वित्तपोषण का संकट निरंतर हावी रहा है जिससे ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में नाकाफी सिद्ध हुए हैं।

मुद्रा बैंक की आवश्यकता – कृषि एवं ग्रामीण विकास की शीर्ष वित्त पोषक संस्था के रूप में शिवारमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई, 1982 को 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं 'रूरल डेवलपमेंट–नाबार्ड' की स्थापना की गई, यह ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं यथा–राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुर्नवित्त सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक व विकासी गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है। इसके विपरीत लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्तपोषण, विकास, उद्यमवृत्ति व ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्त पोषक संस्था के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक; स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया–सिडबी' की स्थापना की गई। यह लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहां यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि जब देश में पहले से ही कृषि, ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों के विकास हेतु नाबार्ड व सिडबी जैसी वित्तपोषक संस्थाएं कार्यरत हैं तो फिर एक और वित्तपोषक संस्था 'मुद्रा बैंक' की स्थापना क्यों की गई? तो इसका सीधा–सा जवाब यही है कि जहां नाबार्ड केवल कृषि एवं ग्रामीण विकास की गतिविधियों का वित्तपोषक है और इससे इतर गतिविधियां वित्तपोषित नहीं होती हैं वहीं सिडबी ने केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों पर अपने को केन्द्रित रखा है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यह कुछ खास नहीं कर सका है जबकि वित्तपोषण की सर्वाधिक जरूरत सूक्ष्म उद्यमियों को ही है।

मुद्रा बैंक की स्थापना से जुड़ी दूसरी आवश्यकता माइक्रोफाइनेंस 'लघुवित्त' से सम्बद्ध है। सरकार ने पिछले दो दशकों में सघन वित्तीय समावेशन के पुरजोर प्रयास किए हैं जिसके तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों 'एनबीएफसी' और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी साख सुलभ का कार्य सौंपा गया ताकि सतही स्तर पर देहाती साहूकारों और महाजनी व्यवस्था को वित्तीय व्यवस्था से बेदखल किया जा सके। ये कंपनियां प्रायः उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करती हैं,जहां ऋण अन्तराल विद्यमान है। उपभोक्ता आवश्यकताओं, टिकाऊ वस्तुओं, खुदरा व्यवसायों, सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी अहम भूमिका है। साधनहीन समूहों के लिए चैरिटी के रूप में उभरी ये कंपनियां गरीब कर्जदारों को 100 डालर तक के छोटे–छोटे उधार देती हैं। ये उधार प्रायः महिला समूहों, स्वयंसहायता समूहों आदि को दिए जाते हैं, जो किश्तों को साप्ताहिक तौर पर चुकाते हैं। देश में करीब 95 प्रतिशत छोटे ऋण महिलाओं को दिए जाते हैं क्योंकि उधार अदायगी के लिहाज से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सर्वेक्षण बताते हैं कि ये कंपनियां वित्तीय समावेशन की लक्ष्य पूर्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। इनके द्वारा 24 से 32 प्रतिशत तक ब्याज वसूला गया और वसूली के लिए दबंगई, शोषण व गुण्डागर्दी के तरीके भी प्रयोग किए जाने लगे। देश में माइक्रो फाइनेंस का मुख्य केन्द्र रहा आंध्र प्रदेश इसका यथा उदाहरण है यानी इन कंपनियों की त्वरित लाभ की बगुला दृष्टि ने ऋणियों के हितार्थ प्रभावी नियामक कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न कर दी क्योंकि गरीबों को चैरिटी नहीं अपितु 'अवसर' चाहिए जोकि इनकी शोषक प्रवृत्ति से संभव नहीं है। ऐसे में सुलभ और सूक्ष्म ऋणों की दिशा में 'मुद्रा बैंक' एक उत्प्रेरक कदम है क्योंकि मुद्रा बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के प्रभावी विनियमन हेतु नई नीतियां व योजनाएं बनाने का कार्य करेगा। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का पंजीकरण, उचित तकनीक का उपयोग, ग्राहक सुरक्षा से सम्बद्ध नीतियां आदि बनाएगा; वित्तीय पारिस्थितिकी का निर्माण एवं विस्तार करेगा, जो गैर–बैंकिंग संस्थानों के लिए वित्त एवं पूंजी का स्रोत हैं। यह अंतिम वित्तदाता से लेकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए पूंजी की लागत भी कम करेगा जो ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। यह वित्तरहित को वित्तीय सहायता देगा और देश में उद्यमियों एवं भावी करदाताओं का एक नया पुल तैयार करेगा।

मुद्रा बैंक की तीसरी आवश्यकता वित्त की बुनियादी जरूरत वाले वंचित समूहों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी है यद्यपि इस दिशा में पुरजोर प्रयास पहले से किए जा चुके हैं। 'प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिमों से संबंधित अनौपचारिक अध्ययन दल' द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक का वितरण निर्धारित किया गया जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित कुल अग्रिमों का एक निश्चित हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को वितरित करना अनिवार्य कर दिया गया। मार्च 1974 में रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देशित किया कि मार्च 1979 तक अपने कुल अग्रिमों के 331/3

प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए निर्धारित करें, तदानुसार डॉ. के.एस.कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा पुनः सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना निर्धारित करें। इसे अधिक समावेशी बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक के भीतर उप–क्षेत्रकों के लिए अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसके बाद से प्राथमिकता क्षेत्रक के 40 प्रतिशत लक्ष्य को यथावत रखते हुए इसकी संरचना में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। इस समय प्राथमिकता क्षेत्रक के अर्न्तगत 9 संवर्ग यथा कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, निर्यात के साथ शिक्षा, आवास ,कमजोर वर्ग, मध्यम उद्यम, सामाजिक अधोरचना, अक्षय ऊर्जा शामिल हैं जिसमें से मध्यम उद्योग, सामाजिक अधोरचना, अक्षय ऊर्जा को 23 अप्रैल, 2015 से शामिल किया गया है लेकिन प्राथमिकता की यह परिधि देश में बढ़ती कार्यकारी आबादी, जनांनकीय लाभांश, उद्यमवृत्ति एवं कौशल विकास की महत्वाकांक्षा पूरी करने में नाकाफी सिद्ध हो रही है जबकि मुद्रा बैंक विकास में विविधता आधारित एवं बहुआयामी आवश्यकताओं के वित्तीयन में सक्षम है।

जैसाकि मुद्रा बैंक की बहुमुखी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए माननीय वितमंत्री श्री जेटली ने 28 फरवरी, 2015 के भाषण में कहा था कि हमारी सरकार की यह दृढ़ धारणा है कि विकास से समावेशी वृद्धि का जन्म होना चाहिए। बड़े निगमित एवं व्यावसायिक निकायों को तो अपनी भूमिका निभानी ही है, साथ ही अधिकतम रोजगार पैदा करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को भी अनुपूर्ति करनी है। देश में करीब 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय इकाईयां हैं जो ज्यादातर एकल स्वामित्व में हैं और विनिर्माण, व्यापार या सेवा संबंधी लघु व्यवसाय चलाती हैं। इनमें से 62 प्रतिशत इकाईयां अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व में हैं, पिरामिड के निचले पायदान पर विद्यमान इन उद्यमियों के लिए अनौपचारिक ऋण तक पहुंच पाना यदि असंभव नहीं तो कठिन तो रहता ही है। इसलिए मैं माइक्रो यूनिट्स डवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. मुद्रा बैंक के गठन का प्रस्ताव करता हूं जिसकी समूह निधि 20000 करोड़ रुपये और ऋण गारंटी समूह निधि 3000 करोड़ रुपये होगी। मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अल्पवित्त संस्थाओं को पुर्नवित्त प्रदान करेगा, उधार देने में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी, इन उपायों से युवा, शिक्षित या कुशल कामगारों के आत्मविश्वास में काफी वृद्धि होगी। अब वे पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा कर सकेंगे, मौजूदा लघु व्यवसाय भी अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। जिस प्रकार हम बैंक सेवा से वंचितों को बैंकिंग के दायरे में ला रहे हैं, उसी प्रकार ऋण वंचितों को भी ऋण की परिधि मे ला रहे हैं।

मुद्रा बैंक क्या है – अत्यधिक छोटे और स्वरोजगार कर रहे लोगों के कारोबार को प्रोत्साहन देने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति और वंचित समूहों के उद्यमियों को सस्ती दर पर संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा; माइक्रो यूनिट्स डवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को की। यह सिडबी की तरह एक पुनर्वित्त एजेंसी होगी और शुरुआत में यह सिडबी की सहायक 'सब्सिडरी' कंपनी के तौर पर काम करेगा जिसे बाद में संसदीय कानून के जरिए 'मुद्रा बैंक' के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह बुनियादी तौर पर छोटी इकाईयों को वित्त उपलब्ध कराने की नीति बनाएगा और छोटी इकाईयों को ऋण देने के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए यह दो प्रकार के सहयोगियों के साथ गठबंधन करेगा। एक, जिन्हें मुद्रा बैंक रिफाइनेंस करेगा और दूसरे, जो जरूरतमंद उद्यमियों को ऋण देंगे। प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, स्वयंसहायता समूह भी ऋण वितरण के सहयोगी हो सकते हैं लेकिन इसके लिए योजना बनाने का काम मुद्रा बैंक का होगा। पुर्नवित्त के लिए क्षेत्रीय–स्तर पर सहयोगी ढूंढे जाएंगे तथा निचले स्तर तक ऋण वितरित करने के लिए माइक्रो संस्थाएं इसका हिस्सा बनेगी। इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित लघु बैंक, एनबीएफसी, लघु वित्तीय संस्थाएं भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मुद्रा बैंक ऐसी सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियमन व पुर्नवित्त पोषण के लिए उत्तरदायी होगा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए लघु कारोबारी कंपनियों को उधार देने का कार्य कर रही हैं। उधार देने में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी।

मुद्रा बैंक का उद्देश्य – मुद्रा बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य सहभागी संस्थाओं के विकास, संवर्धन एवं सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की संवृद्धि के लिए परितंत्र के निर्माण के जरिए समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से विकास हासिल करना है। इसके जरिए वित्तीय समावेशन को एक नये मुकाम तक ले जाने की तैयारी है जिसमें सूक्ष्म कारोबारियों और उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर देश की अर्थव्यवस्था में इन कारोबारियों की हिस्सेदारी और रोजगार पैदा करने की क्षमता को संवर्द्धित करना है। चूंकि देश के गैर–निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र 'एनसीबीएस' उद्यमिता के विकास मे सबसे बड़ा अवरोध इस क्षेत्र को वित्तीय सहयोग का अभाव है, इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक भाग को बाहरी स्रोतों से वित्त उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाईयों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराकर इन्हें सकल घरेलू उत्पाद 'जीडीपी' और रोजगार सृजन का माध्यम बनाया जा सकता है। इन उद्यमों को मुख्यधारा में लाने से न सिर्फ इन उद्यमियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा बल्कि ये अर्थव्यवस्था में

रोजगार सृजन में अहम योगदान के माध्यम से जीडीपी से अधिक समृद्धि में सहायक हो सकेंगे। इस प्रकार मुद्रा बैंक का ध्येय आर्थिक सफलता व वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ एवं मूल आधारित उद्यमिता संस्कृति निर्मित करना है।

मुद्रा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व – मुद्रा अंतिम छोर के ऐसे सभी वित्तपोषकों जैसे लघु व्यवसाय के वित्तपोषण में लगी विभिन्न प्रकार की गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, धारा 25 की कंपनियों, सहकारी समितियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुर्नवित्त उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण,व्यापार व सेवा संबंधी गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यवसाय निकायों को प्रदान करते हैं। यह बैंक सूक्ष्म/लघु व्यवसायियों निकायों के अंतिम छोर के वित्तपोषकों को वित्त उपलब्ध कराने हेतु राज्य–स्तरीय/क्षेत्रीय–स्तर के समन्वयकों के साथ भागीदारी करेगा। इसके अलावा मुद्रा निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम वित्तीयन व्यवसाय हेतु नीतिगत दिशा –निर्देश निर्धारित करना।
- अल्पवित्त संस्थाओं का पंजीकरण करना।
- अल्पवित्त संस्थाओं को मान्यता और रेटिंग देना।
- अति ऋणग्रस्तता को रोकने तथा समुचित ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों एवं वसूली के तरीकों को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण कार्य व्यवहार निर्धारित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों के अंतिम छोर के वित्तपोषण के अभिशासन हेतु मानकीकृत वाचाओं ('कोवेनेंटस') का विकास करना।
- अंतिम पायदान पर स्थित लाभार्थियों को वित्त वितरण हेतु समुचित प्रौद्योगिकी समाधान का संवर्द्धन करना।
- बैंकों,एनबीएफसी तथा एमएफआई द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण/पोर्टफोलियो के लिए गारंटी उपलब्ध कराने हेतु ऋण गारंटी योजना बनाना और संचालित करना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों को अंतिम छोर पर ऋण प्रदायन का एक उत्कृष्ट ढांचा तैयार करना।

मुद्रा के उत्पाद एवं सुविधाएं – मुद्रा बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रचालित प्रारम्भिक उत्पादों और योजनाओं को शिशु, किशोर तथा तरुण नाम दिया गया है जिसमें शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण, किशोर योजना के तहत 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक के ऋण, तरुण योजना के तहत 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक के ऋण लाभार्थियों को दिए जाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत ऋण शिशु श्रेणी इकाईयों को दिया जाए और शेष ऋणराशि किशोर एवं तरुण श्रेणियों में जाए। इसके साथ मुद्रा के अन्य उत्पाद इस क्षेत्र को विकासीय सहयोग देने के लिए हैं। मुद्रा बैंक के अन्य उत्पादों में अल्प ऋण योजना, मिसिंग मिडल ऋण योजना, बैंकों हेतु पुर्नवित्त योजना, महिला उद्यमी योजना, व्यापारियों एवं दुकानदारों हेतु व्यवसाय ऋण, उपस्कर वित्त योजना, सहव्युत्पत्ति एवं जोखिम भागीदारी, मुद्रा कार्ड, ऋण गारंटी, वीसी मॉडल शामिल हैं। शिशु, किशोर तथा तरुण योजनाओं के विकास एवं वृद्धि के ढांचे और समग्र उद्देश्य के भीतर जिन उत्पादों की मुद्रा द्वारा घोषणा के स्तर पर पेशकश की गई है, वे विभिन्न व्यवसाय गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

- अधिक से अधिक लाभग्राहियों को समाहित करने और विशिष्ट व्यवसाय गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय गतिविधि केंद्रित योजनाएं बनाकर प्रचालित की जाएंगी।
- भूतल परिवहन क्षेत्र योजना में अन्य के साथ–साथ उन इकाईयों को सहायता दी जाएगी जो मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे आटोरिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाड़ियां,तिपहिया वाहन, ई–रिक्शा, सवारी कारों, टैक्सियों जैसी परिवहन तथा व्यक्तिगत गाड़ियों की खरीद करेंगी।
- सामूहिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत, ब्यूटीपार्लर, सैलून, जिम्नेसियम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राईक्लीनिंग, साइकिल एवं मोटरसाईकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी, फोटोकॉपी दुकान, दवा दुकान, कोरियर एजेंट आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
- खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम व जैली बनाना, ग्रामीण–स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकानें, लघु सेवा खाद्य स्टोर, दैनिक कैटरिंग व कैंटीन सेवाएं, कोल्ड चैन गाड़ियां, शीतगृह, बर्फ एवं आइसक्रीम बनाने वाली इकाईयां, बिस्किट, ब्रेड बनाने वाली इकाईयां जैसी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- कपड़ा उत्पाद के क्षेत्र में हथकरघा, विद्युतकरघा, चिकनकारी, जरी एवं जरदोजी कार्य, परम्परागत एम्ब्रायडरी, पारंपरिक रंगरेजी एवं मुद्रण, कपड़ों के डिजाइन, बुनाई, सूत कटाई, कम्प्यूटरीकृत एम्ब्रायडरी, स्टीचिंग एवं नॉनगारमेंट्स वस्त्र उत्पाद जैसे कि बैग बनाने, गाड़ी की एसेसरीज, फर्निशिंग एसेसरीज आदि कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

- माइक्रो ऋण योजना के तहत अल्पवित्त संस्थाओं, व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों, संयुक्त देहता समूहों, स्वयंसहायता समूहों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास 'एमएसएमईडी' अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के तहत पात्र अस्तियों के सृजनार्थ आगे ऋण देने हेतु समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे कृषि इतर आयअर्जक गतिविधियां संचालित कर सकें।
- मिसिंग मिडल ऋण योजना के तहत वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम एवं कृषि इतर आयअर्जक गतिविधियां संचालित करने के लिए व्यक्तियों को आगे ऋण प्रदायन हेतु समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जहां प्रति लाभार्थी ऋण की राशि 50,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक हो।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों को पुर्नवित्त के माध्यम से उनकी तरलता को बढ़ाया जाएगा। इन ऋणों का आकार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रक उद्यमों के लिए प्रति उधारकर्ता 10,00,000 रुपये तक रहेगा।
- महिला उद्यमी योजना के तहत अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे महिलाओं, महिला समूहों, संयुक्त देहता समूहों, स्वयंसहायता समूहों को आगे उधार दे सकें जिससे कि वे ऐसी अर्ह सम्पत्तियों का सृजन कर सके जोकि एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम चलाने हेतु अपेक्षित हैं और कृषि इतर आय अर्जक गतिविधियां चला सके।
- व्यावसायिक व्यक्तियों को उनकी दुकान, व्यापार, व्यावसायिक गतिविधियों, बचत, उद्यमों को चलाने, गैर–कृषि आयअर्जक क्रियाओं को चलाने, आवश्यक मशीन खरीदकर सूक्ष्म उद्यम लगाने हेतु ऋण की व्यवस्था के लिए भी अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- लघु सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी उत्पादों का भी पुर्नवित्तीकरण किया जाएगा ताकि सूक्ष्म इकाईयों के सामने आने वाली बाधाओं जैसे आस्ती अभिग्रहण हेतु मार्जिन राशि के लिए आवश्यक पूंजी के अभाव की पूर्ति एनबीएफसी व अल्पवित्त संस्थाओं द्वारा की जा सके।

मुद्रा ऋण क्या है – वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 27.01.2015 सीपी/आरआरबी दिनांक 14 मई, 2015 के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए गैर–कृषि आय अर्जक उद्यमों को ऐसे ऋण जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा के लिए हो तथा जिनकी ऋण जरूरत 10 लाख रुपये से कम हो, को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण के रूप में जाना जाएगा। ऐसे सभी ऋणों को पुर्नवित्त या मुद्रा के ऋण वृद्धि उत्पादों के अर्न्तगत समाहित किया जा सकता है। इन बैंकों और एनबीएफसी के अलावा जो अन्य अल्पवित्तीय संस्थाएं देशभर में कार्यरत हैं और इस घटक को ऋण उपलब्ध करा रही हैं एवं अनुमोदित पात्रता मानदंड पूरा करती हैं, वे मुद्रा से ऋण सहायता प्राप्त कर सकती हैं। मुद्रा ने अंतिम उधारकर्ता तक सहायता चेनलाईज करने के लिए पात्रता मानदंडों के आधार पर 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 17 निजी क्षेत्रीय बैंकों और 25 अल्पवित्त संस्थाओं के साथ साझेदारी शुरू की है। जो उधारकर्ता प्र.मु.यो. के तहत सहायता चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र मे उपर्युक्त संस्थाओं मे से किसी भी संस्था की स्थानीय शाखा से संपर्क कर सकते हैं, सहायता की स्वीकृति संबंधित ऋण संस्थाओं की पात्रता मानदंडों के अनुसार होगी। मुद्रा ने सिडबी के विभिन्न क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों में 97 नोडल अधिकारियों को मुद्रा के पहले सम्पर्क व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित किया है। मुद्रा उत्पादों की सभी जानकारियों और सहायता के लिए उधारकर्ता मुंबई में मुद्रा कार्यालय या चिन्हित नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है। यह विवरण मुद्रा की वेबसाइट www.mudra.org.in पर दिया गया है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय अवलम्बन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है जो साधनहीन समूहों के लिए विकास का वरदान सिद्ध होगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र की सघनता और व्यापकता अधिक है। एनएसएसओ का वर्ष 2013 का सर्वे बताता है कि देश में असंगठित क्षेत्र के 5.77 करोड कारोबारी हैं जिनके पास कुल 11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी है। उनमें से केवल 4 प्रतिशत पूंजी ही संस्थागत तरीके से इन तक पहुंचती हैं, शेष जरूरतें गैर–संस्थागत तरीके से पूरी करते है। यह क्षेत्र 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके विपरीत बड़े कार्पोरेट बैंकों से पिछले 22 वर्षों में 58 लाख करोड़ रुपये का कर्जा मिला है जिससे केवल 22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंक छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 'मुद्रा बैंक' अनौपचारिक क्षेत्र का संस्थागत वित्तीयन करके उसे विकास के नये मुकाम पर खड़ा होने में सक्षम बनाएगा।

(लेखक क्रेडिट डिवीजन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)
ई–मेल : gajendra10.1.88@gmail.com